

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बहराइच।

सेवा में,

प्रबन्धक,

गुरुकुल बाल गोविन्द श्यामजी,
बेगमपुर। - बहराइच।

पत्रांक: मान्यता जू०स्तर/ 9837-41 /2015-16

दिनांक: 30/3/15

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय,

आपके तारीख 20/3/14 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं गुरुकुल बाल गोविन्द श्यामजी, बेगमपुर। बहराइच को आदेश निर्गत तिथि से नर्सरी/कक्षा-4 से कक्षा-5 तक के लिए (अंग्रेजी माध्यम) अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- सोसाईटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 4- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा न उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियनों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

- 1160 वर्ग

वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र

- 1160 वर्ग फुट

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

-

कक्षाओं की संख्या

- 07

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष-	1
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	- 20
पेयजल सुविधा	- 20
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	- 1
बाधा रहित पहुंच	- 20
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	- 20

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11- विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट आदि सूचना प्रस्तुत करेगा। जो समय-समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा अपेक्षित हो और सनुचित सरकार/ स्थानीय प्रधिकारी के द्वारा अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(डा० अमरकान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बहराइच।

- पृ०सं०: मान्यता जू०स्तर/ /2015-16 तददिनांक:
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल/ फैजाबाद
 - 2- समस्त जिला कल्याण अधिकारी, बहराइच।
 - 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहराइच।
 - 4- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बहराइच।



Office of the District Basic Education Officer
BAHRAICH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GURUKUL BAL GOVIND ACADEMY ,BEGAMPUR BAHRAICH** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to GURUKUL BAL GOVIND ACADEMY is **BAH09502037477**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

21-02-2026(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

BAH09502037477

6. Medium

English

DATE:- 21-02-2026

PLACE:- BAHRAICH

District Basic Education Officer

Digitally signed by AASHISH KUMAR SINGH
Date: 2026-02-21 12:06:16
Reason: For Digital Signature
Location: BAHRAICH